प्रेस विज्ञप्ति

01.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), यमुनानगर (हरियाणा) के लोअर डिवीजन क्लर्क राघव वधावन और अन्य से संबंधित अपराध के आगम के रूप में 3.05 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है।

ईडी ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), यमुनानगर (हरियाणा) में की गई धोखाधड़ी के संबंध में यमुनानगर में हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यूएचबीवीएन, यमुनानगर के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खातों से व्यक्तियों (वास्तविक लाभार्थियों के अलावा) के खातों में स्थानांतरण करके 56 करोड़ रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग और गबन किया गया है।

ईडी की जांच से पता चला कि यूएचबीवीएन, यमुनानगर के अधिकारियों ने फर्जी वाउचर तैयार किए और इन फर्जी भुगतान वाउचरों के आधार पर चेक तैयार किए और बाद में विभिन्न राशियों वाले चेक अयोग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दिए गए। जांच से यह भी पता चला कि 1297 गैर-बोनाफाइड लाभार्थियों (244 एसबीआई खाते और 1053 गैर एसबीआई) के बैंक खातों में धोखाधड़ी से धनराशि जमा की गई। जिन व्यक्तियों के खातों में ग्रेच्युटी और बकाया के फर्जी भुगतान के लिए यूएचबीवीएन से धनराशि जमा की गई है, उनके बैंक विवरण के विश्लेषण से पता चला कि जमा की गई धनराशि बाद की तारीखों में नकद में निकाली गई और सोने के रूप में चल और अचल संपत्ति में निवेश के माध्यम से यूएचबीवीएन के कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा इसका लाभ लिया गया।

राघव वधावन और अन्य विभिन्न व्यक्तियों से नकदी और सोने की वस्तुओं के रूप में चल संपत्तियां बरामद की गईं, जिनकी कीमत 2.61 करोड़ रू. और राघव वधावन द्वारा खरीदी, अर्जित और लाभकारी स्वामित्व वाली 44.77 लाख रुपये अचल संपत्तियाँ अपराध के आगम के रूप में पाए गए हैं और इसलिए पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार कुर्क किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है।